

(284)

(160)

न्यायालय श्री मान् अद्यक्ष महोदयराजस्व मण्डल गवाँत्यर म०प०
सर्किट कोर्ट रोवा जिला रोवा म०प०



विहारी लाल दाँड्या तनय श्री रामसजोवन दाँड्या ग्राम शाहपुर तहसील
नागौद जिला सतना म०प० ... निगराकार

₹ 5140/-

बनाम

ऐमलाल कुशवाहा तनय रामसहाय कुशवाहा उम 55 साल साँकन शाहपुर
तहसील नागौद जिला सतना म०प० .. गैर निगराकार

श्री. जससराम विश्वकोणी एड
द्वारा आल दिनांक ३-११-५
प्रस्तुत किया गया।
सर्किट कोर्ट रोवा

निगरानी विस्तृ न्यायालय श्री मान् तहसीलदार
वृत्त जसो के प्रकरण नं. ७९६-६४/१४-१५ आदेश
मत्रिका दिनांक १६. १०. १५

निगरानी अन्तर्कात धारा ५० म०प० भू. राजस्व
सीहता १९५७ ₹०

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यहाँ के प्रार्थी/ निगराकार को हस्तैनी भूमि छतरा नं. ७०९/११
स्थित ग्राम शाहपुर रा. नि. म. रोवा, तहसील नागौद जिला सतना म०प०
आवादी की आराजी है, उक्ते आराजी मे प्रार्थी/ निगराकार ने कार्या
ग्राम पंचायत शाहपुर जनपद पंचायत नागौद जिला सतना म०प० के घटा से
मकान निर्माण हेतु विधिवत दिनांक २४.६.७५ को मंजूरी लेकर निर्माण
कार्य कराया था, जिसे अनावेदक/ गैर निगराकार रोज़गर क्षमित पहुँचाने
के दृष्ट से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बनावटो व मन्गढ़त तथ्यो के आधार
पर नया निर्माण कार्य बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगराकार के

क्र. २

विदासिलाल

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. ५१५०-ग/१५ जिला..... सतना

.....प्रियंका लक्ष्मी दीप्या..... विरुद्ध ब्रह्मगढ़ अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अधिवक्ता उपराम विश्वकर्मा..... द्वारा यह न्यायब तहसीलदार तहसील नागार विहार जस्ते के प्रकरण क्रमांक ७९/ग-६८/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक १६/१०/१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ३०.०३.१९ को कलेक्टर अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

पर नया निर्माण कार्य बताकर अधीनस्थ न्यायालय के सम्मान नगराकार के

क्र. २